पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा

बंगलादेश में हत्या के लिए उकसाना, विरोध दबाने के लिए हथियारों, ड्रोन, हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल का आरोप

ढाका 17 नवंबर. बंगलादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को गत वर्ष देश में हुए विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ घातक कार्रवाई करने के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मौत की सजा सुनाई.

न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी मौत की सजा सुनायी, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पांच साल की कैद की सजा सुनायी है. न्यायाधिकरण ने इन दोनों को मानवता के विरुद्ध विभिन्न

अपराधों के लिए दोषी ठहराया था. गौरतलब है कि हसीना इस समय भारत में निर्वासन में रह रही हैं. विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक कार्रवाई को लेकर हसीना, कमाल और श्री अल-मामून के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था. न्यायाधिकरण की ओर आज फैसला सुनाये जाने के दौरान अल-मामून उपस्थित रहे.

मारे गए थे 1,400 प्रदर्शनकारी

श्री अल-मामून ने जुलाई में अपना दोष स्वीकार किया था और सरकारी गवाह बन गए थे. न्यायाधिकरण के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसीना ने 2024 में बंगलादेश में कई हफ्तों की अशांति के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सैकड़ों हत्याओं के लिए उकसाया. इस दौरान लगभग 1,400 प्रदर्शनकारी मारे गए और 25,000 तक घायल हुए. हसीना पर पांच आरोप लगाये गये थे, जिनमें हत्या के लिए उकसाना, फाँसी का आदेश देना और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए घातक हथियारों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल को अधिकृत करना शामिल है. हसीना ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिये कई साक्षात्कारों में खुद पर लगे इन सभी आरोपों का खंडन किया और कहा था कि प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए इस्तेमाल की गई गोलियां बंगलादेश पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों से अलग थीं. कई विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि ये गोलियाँ असमाजिक तत्वों द्वारा चलाई गयी थीं. हसीना की कानूनी टीम ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों और उचित प्रक्रिया के अभाव का हवाला देते हुए, न्यायेतर, संक्षिप्त या मनमाने ढंग से की गयी सुनवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि से अपील की है.

भारत ने कहा - शांति लोकतंत्र बनाए रखें

भारत ने कहा शेख हसीना के बारे में वहां के एक न्यायाधिकरण के फैसले की जानकारी है और बंगलादेश के लोगों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है. हसीना को न्यायाधिकरण द्वारा सजा सुनाने पर प्रतिक्रिया करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है. हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे.

जारी रहेगी भारत की विकास यात्रा : योगी

लखनऊ, 17 नवंबर. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि मौजूदा सरकार लकीर की फकीर नहीं बन सकती. पिछले 11 वर्षों में देश के चहुंमुखी विकास को दुनिया ने देखा है और यह विकास यात्रा आगे भी जारी रहेगी.

बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय (बीबीडी) के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उन्होने कहा हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते हैं. आपने भारत की विकास यात्रा को 11 वर्ष में देखा है और यह आगे भी जारी रहेगा. योगी ने कहा कि, आज आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्स लोगो के दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है, अखिलेश दास जी यूनियन कैबिनेट में जब थे, उस समय मुझे भी सांसद के रूप में देश की संसद में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था. उन्होने कहा, हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते है, आपने भारत की विकास यात्रा को 11 वर्षों में देखा है, मोदी जी ने देश के अंदर डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाया.

सोमवार की सुबह एक मां के जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आया, जब वह 'जनता दर्शन' में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलीं. उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए सात माह के मासूम की बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने महिला की बात सुनी और तत्काल उन्हें एंबुलेंस से केजीएमयू भिजवाया. योगी के निर्देश पर हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे बच्चे का इलाज शुरू हो गया. वहीं 'जनता दर्शन' में प्रदेश भर से 60 से अधिक फरियादी आए, मुख्यमंत्री ने सभी के पास पहुंचकर उनकी शिकायतें सुनीं.

योगी ने कहा कि अपने उन विभूतियों के प्रति जिनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव हो. भारत की प्राचीन परपंरा में जब कोई स्नातक गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके निकलता था तो शिक्षक द्वारा सन्देश दिया जाता था कि जीवन में सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना.

मुख्यमंत्री ने कहा देश के अंदर हमारी 56 फीसदी आबादी वर्कफोर्स है. प्रधानमंत्री ने 2020 में भारत को नेशनल एजुकेशन पालिसी दी. स्केल को स्किल से जोड़ने के लिए कारगर तरीके अपनाये गए. आपने देखा होगा रोबोटिक में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है. हमे भी प्रयास करने होंगे.सीवर के मैनहोल की सफाई करते हुए जिसमे सफाईकर्मी अपना दम तोड़ देता है, हम तकनीक का उपयोग कर सकते है और मानव क्षति को कम कर सकते हैं.

बाल ठाकरे की निर्भीक आवाज ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी

अरविंद केजरीवाल ने बाला साहेब को दी श्रद्धांजलि

नईदिल्ली, 17 नवंबर. केजरीवाल ने ठाकरे को दी श्रद्धांजलि, दृढ़ नेतृत्व का स्मरणम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिवसेना संस्थापक आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर एक्स पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.

उन्होंने कहा कि ठाकरे की निर्भीक आवाज और निर्णायक नेतृत्व ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी. बाला साहेब ठाकरे भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में गिने जाते हैं, जिनकी शैली, व्यक्तित्व और नेतृत्व का असर आज भी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में दिखाई देता है. अरविंद केजरीवाल ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा कि ठाकरे केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व ही नहीं थे,

बल्कि एक ऐसी प्रेरक शक्ति थे, जिन्होंने जनता के मुद्दों को मुखरता से उठाने की परंपरा कायम की.

अपने पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा—शिवसेना संस्थापक आदरणीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि. उनकी निर्भीक आवाज़, दृढ़ नेतृत्व और जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है. बाला साहेब ठाकरे ने मराठी मानुस, हिंदुत्व और क्षेत्रीय गौरव के मुद्दों को एक विशिष्ट शैली में सामने रखा. उनकी राजनीतिक भाषा सरल, स्पष्ट और असरदार थी. अपनी तीखी वाणी, निर्भीक विचारों और जनता के बीच गहरी पकड़ के कारण वे समाज के हर वर्ग में सम्मानित रहे.

जिम टाइगर रिजर्व का बफर जोन प्रतिबंधित

सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली, 17 नवंबर. उच्चतम न्यायालय ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए कई दूरगामी संरक्षण निर्देश जारी किये हैं.

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटन पूरी तरह से इको पर्यटन होना चाहिए और पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती है. न्यायालय ने उन विशिष्ट गतिविधियों को सूचीबद्ध किया है जो रिजर्व के आसपास के बफर जोन और जलग्रहण क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेगी. इनका उद्देश्य इन नाज़ुक पारिस्थितिकीय तंत्रों में मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम करना है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में कहा है कि उत्तराखंड सरकार को संरक्षित क्षेत्र में हुई अवैध वृक्ष कटाई की भरपाई के लिए ठोस उपाय करने चाहिए.

मुख्य न्यायाधीश ने अपने परिवारों से दूर कार्यरत अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों की कठिन कार्य स्थितियों का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया कि इन कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें वन शिविरों में उन्नत बुनियादी ढाँचा शामिल है. न्यायालय ने आदेश दिया कि वन शिविरों में स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि अभयारण्य की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार लोगों को पर्याप्त सहायता मिले सके. न्यायालय के संरक्षण-केंद्रित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले की निगरानी जारी रहेगी.

आज का इतिहास

1727 महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। बंगाल के विद्यासागर चक्रवर्ती शहर के वास्तुकार थे।

1738 फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच शांति समझौता हुआ।

1772 पेशवा माधव राव प्रथम का निधन और उनके स्थान पर उनके छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली।

1910 क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ था।

1918 उत्तरपूर्वी यूरोपीय देश लातविया ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की।

1948- बिहार की राजधानी पटना के निकट स्टीमर 'नारायणी' के दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच सौ लोग डूबे।

1959 - विमानवाहक पोत एचएमएस हर्मुज को ब्रिटिश रॉयल नेवी में शामिल किया गया, जिसे 1984 में सेवामुक्त करके भारत को बेच दिया गया।1987 में इसे आईएनएस विराट के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जहां इसने 30 वर्ष तक अपनी सेवाएं दीं।

1963- अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम्स ने बटन डायलिंग पैड वाला टेलीफोन बनाया।

9172-इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ ने रॉयल बंगाल टाइगर को भारत के राष्ट्रीय पशु के तौर पर स्वीकार किया।

1976-स्पेन की संसद ने 37 बरस की तानाशाही के बाद देश में लोकतंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

1978 -दक्षिण अफ्रीका के गुयाना में एक धार्मिक समुदाय पीपुल्स टैंपल क्रिश्चियन चर्च के सदस्यों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली।

NOTICE / PUBLICATION

FORM NO. IV
[See sub Rule 2(A) of Rules 5]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT JABALPUR
2nd & 3rd Floor, BSNL Building, Near Head Post Office, Civil Lines, Jabalpur (MP) 482001

O.A. NO. 853 OF 2024

HDFC BANK LTD. Applicant(s)
Versus
M/S. BANSI SORTEX & OTHERS Respondent(s)

To,
1. **M/s. Bansi Sortex, A Proprietorship concern through its proprietor Shri Bansi Lal Khandelwal,** Situated at 336/4, Agrawal Udyog Nagar, Nemawar Road, Palda, **INDORE (M.P.)**.
2. **ShriBansi Lal Khandelwal, Son of Shankar Lal Khandelwal,** proprietor of M/s. Bansi Sortex, resident of House No.98, Janki Nagar, Near Janki Nagar Temple, **INDORE (M.P.)**
3. **Smt. Sushma Khandelwal, wife of Shri Bansi Lal Khandelwal,** resident of House No.98, Janki Nagar, Near Janki Nagar Temple, **INDORE (M.P.)**
4. **M/s. Kastur Pulse Mill, A Partnership firm through anyone of its partners namely Shri Bansi Lal Khandelwal and Smt. Sushma Khandelawal,** Situated at 336/5, Agrawal Udyog Nagar, Nemawar Road, Palda, **INDORE (M.P.)**

Whereas, **OA No.853/2024** was listed before the Hon'ble Presiding officer on **31/07/2025** and this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the application under Section 19 (4) of the Act, (OA) filed against you for recovery debts of **Rs.67,74,661.18.**

In accordance with sub section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:

i. To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
ii. To disclose particulars of properties or assets other than properties & assets specified by the applicant under serial number 3A of the Original Application.
iii. You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets & properties disclosed under serial number 3A of the Original Application. pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
iv. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise , except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets & properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the original application without the prior approval of the tribunal.
v. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets & properties in the ordinary course of business & deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written stated with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar **30.12.2025** on 10:30 A.M. at failing which the application shall be heard & decided in your absence.

Give under my hand and the seal of the Tribunal on this the **17th day of November, 2025.**

AUTH. OFFICER, DRT, JABALPUR

FORM No. IV
[See Sub Rule 2(A) of Rule 5]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT JABALPUR
2nd & 3rd Floor, BSNL Building, Near Head Post Office, Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001
O.A. No. 865 OF 2023

CANARA BANK Applicant (s)
Versus
M/S HINA TRADERS & OTHERS Defendant (s)

To
1. M/s Hina Traders, A proprietorship concern through its proprietor Shri Faruq Hussain, situated at Shop No. 253, A. B. Road, New Aalo Pyaj Mandi, **INDORE (M.P.).**
2. Shri Faruq Hussain, Son of Shri Abdul Jahur Mansuri, proprietor of M/s Hina Traders, Resident of House No. 6/4, A. B. Road, Kanya Shala Kshetra, Ward No. 6, Rau, Pigdamber, **INDORE (M.P.).**
3. Smt. Naseem Bee, Wife of Shri Abdul Jahur, Resident of House No. 6/4, A. B. Road, Kanya Shala Kshetra, Ward No. 6, Rau, Pigdamber, **INDORE (M.P.).**

Also at - House No. 671/672, A. B. Road, Rau, **INDORE (M.P.).**

4. Shri Zahid Hussain, Son of Shri Haji Abdul Jahur, Resident of House No. 6/4, A.B. Road, Kanya Shala Kshetra, Ward No.6, Rau, Pigdamber, **INDORE (M.P.).**

Whereas OA No 865/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 06.08.2023 and this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under Section 19 (4) of the Act (OA) filed against you for recovery debts of **Rs. 59,56,072.80.**

In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:
1. To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial no. 3A of the Original Application.
3. You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial no. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under Serial no. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institution holding security interest over such assets.
6. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar **30.12.2025 on 10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of the Tribunal this 17th Day of November 2025.

SEAL

AUTHORISED OFFICE, DRT, JABALPUR

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राजेश लालवत नायक आर्मी नंबर 14810870H निवासी 117 अशोक कॉलोनी, बिरला ग्राम, नागदा, उज्जैन म.प्र.घोषित करता हूँ कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम रीना दर्ज है लेकिन उनका सही नाम **रीना ललावत** है मेरी दोनों बेटियों के नाम भी मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है (अ) तनुखा लालवत जिसे **तनुष्का ललावत** होना चाहिए। तथा (ब) नम्रता लालवत है जिसे **नम्रता ललावत** होना चाहिए। उपरोक्त सब कुछ सही है।

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, BURHANPUR
Under the Consumer Protection Act, 2019
Consumer Case No. cc/35/2023

उमाकांत पिता श्रीराम पंजराये
Petitioner Complainant/Appellant
Versus
फोर्ट इंडिया प्रा.लि. व अन्य
Opposite Party / Respondent

To,
1- फोर्ट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड एस पी कोरल पोस्ट चेंगलपट्टु 603204 भारत
2- विनायक फोर्ड (विनायक ऑटो लिंक प्रा.लि.) 10 सीएमजी रोड इन्दौर 452001
3- विनायक फोर्ड (विनायक ऑटो लिंक प्रा.लि.) 10सीएमजी रोड इन्दौर शाखा खरगौन

Opposite Party/Respondent Name:

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि परिवादी ने आपके विरुद्ध इस जिला आयोग के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत परिवाद पत्र दायर किया है। अतः प्रकरण में नियत दिनांक 26.11.2025 को आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिभाषक के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा में परिवाद का जवाब सुचना पत्र प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें निर्धारित समय अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। आज दिनांक 29/10/2025 को इस आयोग की पदमुद्रा से जारी किया गया । संलग्नः परिवाद पत्र व दस्तावेजों की प्रतिलिपि।

President

FORM No. IV
[See Sub Rule 2(A) of Rule 5]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT JABALPUR
2nd & 3rd Floor, BSNL Building, Near Head Post Office, Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001
O.A. No. 862 OF 2023

CANARA BANK Applicant (s)
Versus
M/S HAJI ABDUL JAHUR HAJI ABDUL GALI & OTHERS Defendant (s)

To
1. M/s. Haji Abdul Jahur Haji Abdul Gani, A proprietorship concern through its proprietor Shri Abdul Jahur, situated at 253, A.B. Road, New Aalo Pyaj Mandi, **INDORE (M.P.).**
2. Shri Abdul Jahur, Son of Shri Abdul Gani, proprietor of M/s. Haji Abdul Jahur Haji Abdul Gani, Resident of House No. 6/4, A.B. Road, Kanya Shala Kshetra, Ward No.6, Rau, Pigdamber, **INDORE (M.P.).**
3. Smt. Naseem Bee, Wife of Shri Abdul Jahur, Resident of House No. 6/4, A. B. Road, Kanya Shala Kshetra, Ward No.6, Rau, Pigdamber, **INDORE (M.P.).**

Also at - House No.671/672, A.B. Road, Rau, **INDORE (M.P.).**

4. Shri Jahid Hussain, Son of Shri Haji Abdul Jahur, Resident of House No. 6/4, A. B. Road, Kanya Shala Kshetra, Ward No.6, Rau, Pigdamber, **INDORE (M.P.).**

Whereas OA No 862/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer and this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under Section 19 (4) of the Act (OA) filed against you for recovery debts of **Rs. 1,43,61,283.34.**

In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:
1. To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial no. 3A of the Original Application.
3. You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial no. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under Serial no. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institution holding security interest over such assets.
6. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar **30.12.2025 on 10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of the Tribunal this 14th Day of November 2025.

SEAL

AUTHORISED OFFICE, DRT, JABALPUR

कार्यालय नगर परिषद राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

फैक्स - 07296242244 Email-cmorajgarhdhar@mpurban.gov.in

पत्र क्रमांक / 2251/ राजस्व/ 2025 राजगढ़, दिनांक 17/11/2025

-:: कोटेशन आमंतरण सुचना ::-

सर्व साधारण व्यक्ति / फर्म आदि को सूचित किया जाता है, कि नगर परिषद् राजगढ़ जिला धार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 मार्च 2026 तक के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण में एम.आर.एफ. अंतर्गत प्रतिदिन प्राप्त होने वाली अनुपयोगी सामग्री जैसे प्लास्टिक लोहा, कांच, पुष्टा, कागज, बाटल, रबर आदि जो कि निकाय के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर रखी है, जो विक्रय की जाना है।

इस हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म आदि उक्त सामग्री क्रय करना चाहते है, वे सामग्री का अवलोकन करते हुए अपने अपने भावपत्र सीलबंद लिफाफे में दिनांक 24/11/2025 को समय दोप. 3:00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि के पश्चात प्राप्त कोटेशनो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

शर्ते :-
1. सामग्री की दरे प्रति किलो एवं सामग्रीवार प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. सामग्री की दरे समस्त कर सहित प्रस्तुत करना होगी ।
3. अन्य नियम एवं शर्ते कार्यालय में आ कर देखी एवं समझी जा सकती है।

(श्रीमती ज्योति सुनारिया) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् राजगढ़ (धार)
(श्री दीपक जैन) उपाध्यक्ष नगर परिषद् राजगढ़ (धार)
(श्रीमती सवेरा महेश जायसवाल) अध्यक्ष नगर परिषद् राजगढ़ (धार)

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 98260 81279

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना
परिशिष्ट-IV-क (नियम 9(1) के परन्तुक देखें)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम , 2002 के नियम 9(1) के अन्तर्गत चिल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणत: एवं निम्न वर्णित संपत्ति के ऋणीयों/जमानतदारों/ बंधककर्ताओं को विशेषत: सूचीत किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति आईडीबीआई बैंक **(सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के **प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्न वर्णित संपत्ति का विक्रय निम्न वर्णित दिनांक को आईडीबीआई बैंक (सुरक्षित लेनदार) के बकाया राशि वसूली करने हेतु **जहां है जैसा है, जो है जैसा है, जो कुछ भी है** के आधार पर **दिनांक 10.12.2025** को विक्रय किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि (ईएमडी) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता का नाम	1) मांग सूचना दिनांक 2) कब्जा दिनांक 3) मांग सूचना अनुसार बकाया राशि	1) आरक्षित मूल्य 2) धरोहर राशि (EMD) 3) बिड वृद्धि राशि	अचल संपत्ति का विवरण (इन्दौर (म.प्र.) स्थित अचल संपत्ति का प्रत्येक भाग एवं समूह जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास बंधक है)
	क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001 EMD Submission A/c Details : IDBI BANK LIMITED No : 00134915010026, IFSC Code : IBKL0000001 DD Should be drawn in favour of IDBI Bank Ltd., A/c No.: 00134915010026 payable at Ratlam Kothi issued by any Nationalised Bank/ Scheduled Bank as (EMD)			
1.	1. श्री दीपक चोपड़ा (ऋणी एवं बंधककर्ता), 2. श्रीमती सुनीता चोपड़ा (सह-ऋणी), 3. श्री नासीर खान (जमानतदार)	1) 16.03.2023 2) 13.02.2025 3) 16,23,679.95/- 10.12.2022 के अनुसार + उसके बाद लागू होने योग्य ब्याज खर्चे एवं चार्जेस	1) ₹ 22,50,000/- 2) ₹ 2,25,000/- 3) ₹ 10,000/-	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग फ्लेट नं. 27, सातवीं मंजिल, कांता अपार्टमेंट प्लाट नं. 09 (ब्लॉक नं. 55-56), गली नं. 03, मनोरमागंज, इन्दौर, मध्यप्रदेश, क्षेत्रफल: 750 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: उत्तर: दीपशिखा अपार्टमेंट, दक्षिण: फ्लेट नं. 26, पूर्व: खुल जगह, पश्चिम: फ्लेट नं. 28

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
धरोहर राशि/ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि	: 08.12.2025 सायं 4 बजे तक
निरीक्षण की दिनांक एवं समय	: 01.12.2025 से 02.12.2025 समय प्रात: 11 बजे से सायं 4 बजे तक
बिड वृद्धि राशि	: रु. 10,000/- से
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	: 10.12.2025 प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रत्येक 5 मिनिट के असीमित विस्तार के साथ (यदि आवश्यक हो)

ब्रिकी की विस्तृत नियमों व शर्तों के लिए, कृपया **https:/www.bankeauctionwizard.com** एवं आईडीबीआई की वेबसाईट यानि **https://www.idbibank.in** पर दिये गए लिंक को देखें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक पार्टियां प्राधिकृत अधिकारी, **क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 98260 81279** से संपर्क कर सकती है।

सरफेसी अधिनियम 2022 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को एतद्वारा ई-नीलामी की तिथि से पहले ब्याज सहित उपरोक्त वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि यदि कोई ब्याज सहित उनसे वसूल की जाएगी। ऊपर उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार ऋणियों/जमानतदारों संभावित खरीदार को ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी ला सकते है।

स्थान: इंदौर, दिनांक: 18.11.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस

आपके, निवेदन पर हमारी शाखा द्वारा निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों, आपको विभिन्न वित्तीय साख सीमाएं स्वीकृत की थी एवं हमको देय कुल राशि में से आपने पूरी राशि भुगतान करने में चूक की है। चूकि आपने आपकी पूर्ण देयताओं के भुगतान में चूक की है अत: हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आपकी देयताओं को गैर निष्पादक आस्तियों (NPA) के रूप में दिनांक **04.11.2025** (एनपीए तिथि) को वर्गीकृत किया है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि हमारे द्वारा अनेकों बार नोटिस देने एवं व्यक्तिगत निवेदन के पश्चात भी कथित ऋणों का भुगतान आपके द्वारा नहीं किया गया। आपको विदित है कि हमारे द्वारा दी गई विभिन्न साख सीमाएं निम्न संपत्तियों (सुरक्षित संपत्तियों) द्वारा अभिरक्षित है।

क्रं.	शाखा का नाम	ऋणी/संपत्ति मालिक/ बंधककर्ता के नाम एवं पते	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक ₹ बकाया राशि
1.	मोती तबेला शाखा, इन्दौर	**मेसर्स श्री राम इंटरप्राईजेस, प्रो. श्री विष्णु बिश्नोई (ऋणी),** पता: 24/3/2, नायता मुण्डला, बायपास रोड, इन्दौर, **श्री विष्णु बिश्नोई पिता श्री राम बिश्नोई,** पता: 157, श्री विनायक टाउनशिप, देवगुराड़िया, इन्दौर (म.प्र.) **श्रीमती किरन बिश्नोई पति श्री राम बिश्नोई (जमानतदार),** पता: 157, श्री विनायक टाउनशिप, देवगुराड़िया, इन्दौर (म.प्र.)	प्लाट नं. 159, श्री विनायक टाउनशिप, ग्राम देवगुराड़िया, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर का साम्यिक बंधक, **प्लाट का क्षेत्रफल: 1500 वर्गफीट, मालिक: श्रीमती किरन बिश्नोई पिता श्रीराम बिश्नोई,** रजिस्टर्ड सेल डीड नं. MP179132024A1238076 दिनांक 26.02.2024 उप/संयुक्त रजिस्ट्रार इन्दौर में रजिस्टर्ड, **चर्तु:सीमा: पूर्व:** प्लाट नं. 171, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क, **उत्तर:** प्लाट नं. 160, **दक्षिण:** प्लाट नं. 158	मांग सूचना दिनांक 06.11.2025 **50,72,466.00** + दिनांक 06.11.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्चे व चार्जेस

उपरोक्त वर्णित कारणों से हम आपसे नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि के अन्दर आपकी देयताओं की सम्पूर्ण रूप से भुगतान की मांग करते है जिसमें चूक की दशा में वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत हम अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे।आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका में वर्णित **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया** के हित मे प्रतिभूत की गई आस्तियाँ को बैंक की लिखित सहमति के बिना विक्रय पत्र, लीज या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे। हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते है की यदि आपने अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना की तो वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 2002 की उप धारा 29 के अन्तर्गत एक वर्ष की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। **अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 18.11.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**